20 MAY 2003

1725

A-2003

समायोजित स्टाम्प 3200/- रुपये

देय स्टाम्प 4800/- रुपये

तयनामा 80,000/- रुपये मालियत 80,000/- रुपये कुल स्टाम्प 8000/रु०

मैं ~~किरनदेवी-पत्नि-किशन~~ सतीश छाबड़ा सिविल जज सीनियर डिवीजन मुरादाबाद

का हूं।

जोकि वादी डिक्रीदार डा० प्रमोद कुमार अग्रवाल ने वाद संख्या

829 सन 2002 ई० डा० प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम श्री ध्यान सिंह

वास्ते स्पेसिफिक परफारमेन्स बरबिनाये इकरारनामा मुआयदाबय

ह०

सिविल जज (सी०डि०)
मुरादाबाद

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

20 MAY 2003

A-2003 1724

दाखिल किया जो दिनांक 21-12-2002 ई0 की सन्धि-पत्र के आधार पर आज्ञप्त हुआ और प्रतिवादी मदयून ध्यान सिंह की उक्त सन्धिपत्र के आधार पर विक्रय पत्र 15 दिन के भीतर यहक वादी डिक्रीदार रजिस्टरी कराना तय था परन्तु मदयून ने वादी डिक्रीदार के पक्ष में अन्दर मुददत मजकूर विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं कराया जिस कारण वादी डिक्रीदार ने इस न्यायालय में बजरिये इजरा नम्बर 1 सन 2003 ई0 डा0 प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम श्री ध्यान सिंह में यह निवेदन किया कि आराजी स्थित ग्राम मंगूपुरा परगना व जिला मुरादाबाद गाटा संख्या छः सौ तीस 630 रकबई 0-053 जीरो प्वाइंट जीरो तरेपन हैक्टेयर का

अ0

सिविल जज (व०ख०)
मुरादाबाद

Scanned by Scanner Go

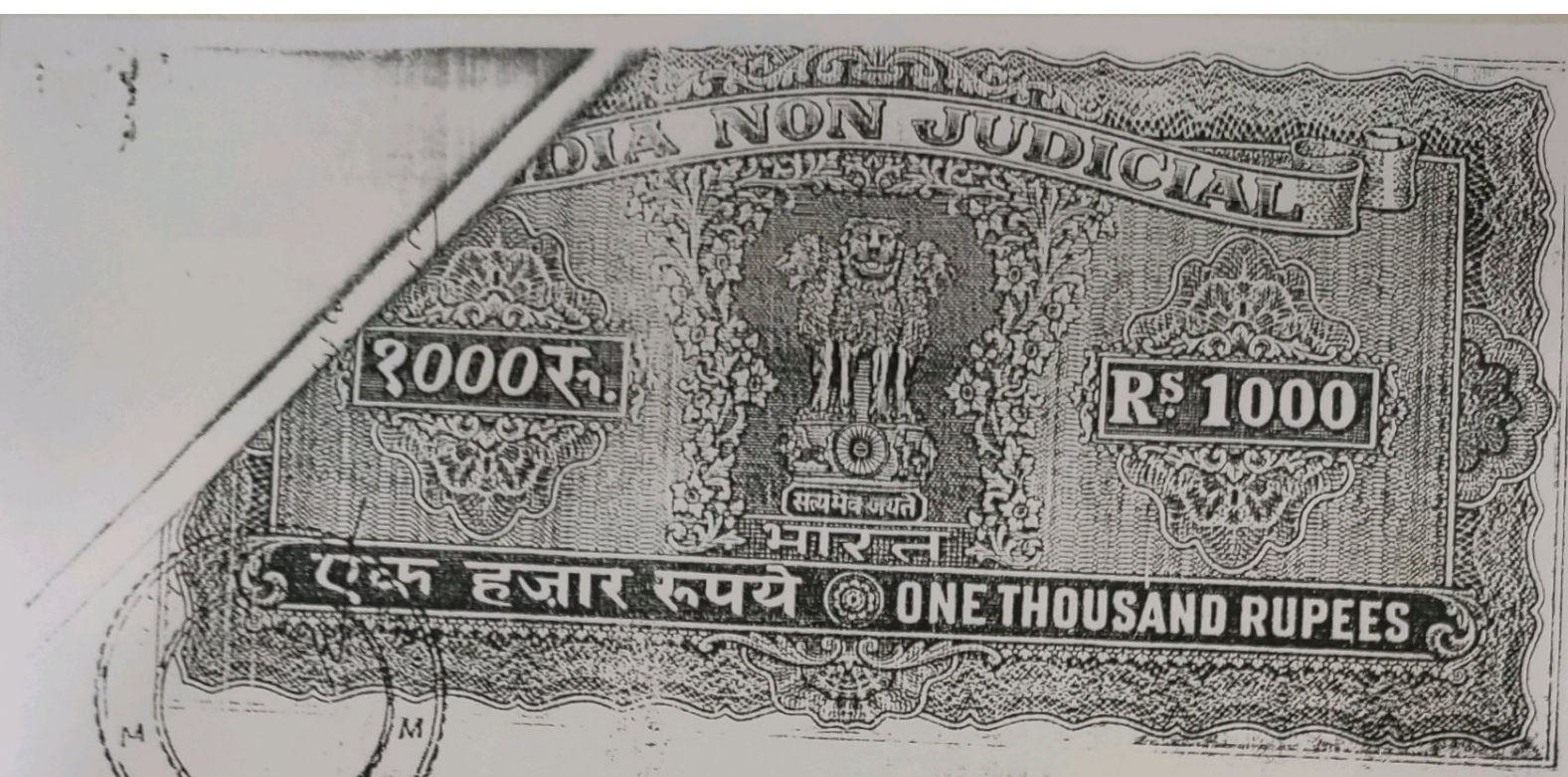

INDIA NON JUDICIAL

१000रू. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

20 MAY 2003

A-2003 1723

-3-

बयनामा न्यायालय द्वारा मिनजानिब मदयून प्रतिवादी बहक वादी डिक्रीदार तहरीर व तकमील और रजिस्टरी करा दिया जावे चूंकि मदयून प्रतिवादी वादी डिक्रीदार से कुल धनराशि प्राप्त कर चुका है अब कोई जरसमन वादी डिक्रीदार की तरफ मदयून प्रतिवादी का बाकी नहीं रहा है । अत: मैं ~~मदनलाल विमल~~ मो० मतीन खां सिविल जज सीनियर डिवीजन मुरादाबाद विवादित आराजी का बयनामा मिनजानिब ध्यान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम मंगूपुरा तहसील व जिला मुरादाबाद मदयून डिक्री बहक डा० प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी बी-9 गांधी नगर मुरादाबाद

अ०

सिविल जज (व०प्र०)
मुरादाबाद

Scanned by Scanner Go

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

A:2003 1722

20 MAY 2003

डिक्रीदार वादी बिलऐवज मुबलिग अस्सी हजार 80,000/-रुपये तहरीर तकमील करता हूं और लिखे देता हूं कि अब या आयन्दा कोई हक व ताल्लुक उपरोक्त विवादित आराजी या जरेसमन उसके की बाबत ध्यान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम मंगूपुरा परगना व जिला मुरादाबाद या उसके वारिसान या कायम मुकामान का बाकी नही रहा और न आयन्दा होगा और डा० प्रमोद कुमार अग्रवाल डिक्रीदार को हक हासिल है कि वह उपरोक्त आराजी पर हस्ब जाब्ता दखल हासिल कर ले और कागजात माल सरकारी में से ध्यान सिंह प्रतिवादी मदयून का नाम खारिज करा कर तन्हां अपना नाम बहैसियत मालिक भूमिधर

अ0

सिविल जज (व०ख०)
मुरादाबाद

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

दर्ज करा ले और जिस तरह चाहे उससे मुस्तफीद होता रहे किसी भी शख्स को कुछ उज्र व एतराज न होगा यदि किसी वजह से शायमुबइया जुज या कुल खारीदार डिक्रीदार के कब्जे व दखल मालिकाना से निकल जावे तब विक्रेता मदयून ध्यान सिंह व उसके वारिसान व कायम मुकामान बकदर जरेसमन मय हर्जेव खार्चे की अदायेगी का देनदार व जिम्मेदार रहेगा कुल जरेसमन की अदायेगी निम्नलिखित तौर पर खारीदार डिक्रीदार द्वारा मदयून प्रतिवादी

सिविल जज (व०ख०)
मुरादाबाद

100R

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

को की जा चुकी है लिहाजा अब कोई हब्बा बावत जरेसमन ध्यानतिं मदयून प्रतिवादी का मिनजानिब खारीदार डिक्रीदार बाकी नहीं रह अतः यह बयनामा कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति ।

तफसील आराजी मुबइया- विवादित आराजी जिसका बयनामा बहक खारीदार डिक्रीदार किया जा रहा है गाटा संख्या छः सौ तीस 630 रकबई 0-053 जीरो प्वाइंट जीरो तरेपन हेक्टेयर वाकय ग्राम मंगूपुरा तहसील व परगना व ब्लाक व जिला मुरादाबाद ।

अ0

सिविल जज (स०ड०)
मुरादाबाद

Scanned by Scanner Go

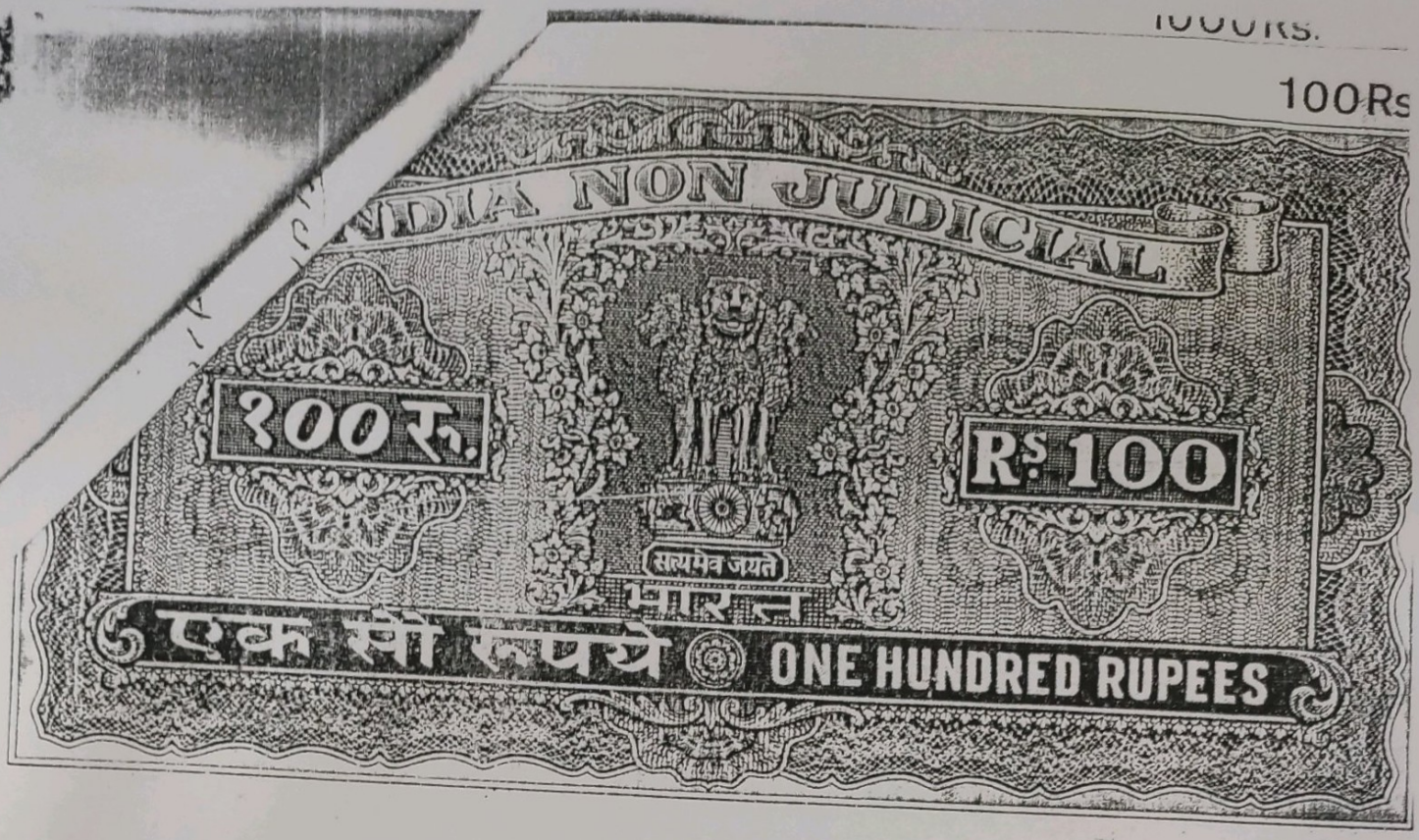

1000Rs.

100Rs

तफसील वसूली जरेसमन:- बरवक्त रजिस्टरी मुआयदाबय समक्ष श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब मुरादाबाद दिनांक 17-10-2002 ई0 को अंकन पचास हजार 50,000/-रुपये प्रतिवादी मदयून ने खरीदार डिक्रीदार से वसूल पाये तथा बकिया जरेसमन मुबलिग तीस हजार 30,000/-रुपये दिनांक 9-12-2002 ई0 को बजरिये सन्धि-पत्र अन्दरूने अदालत प्रतिवादी मदयून ने डिक्रीदार से नकद प्राप्त कर

अ0

सिविल जज (व0प्र0)
मुरादाबाद

Scanned by Scanner Go

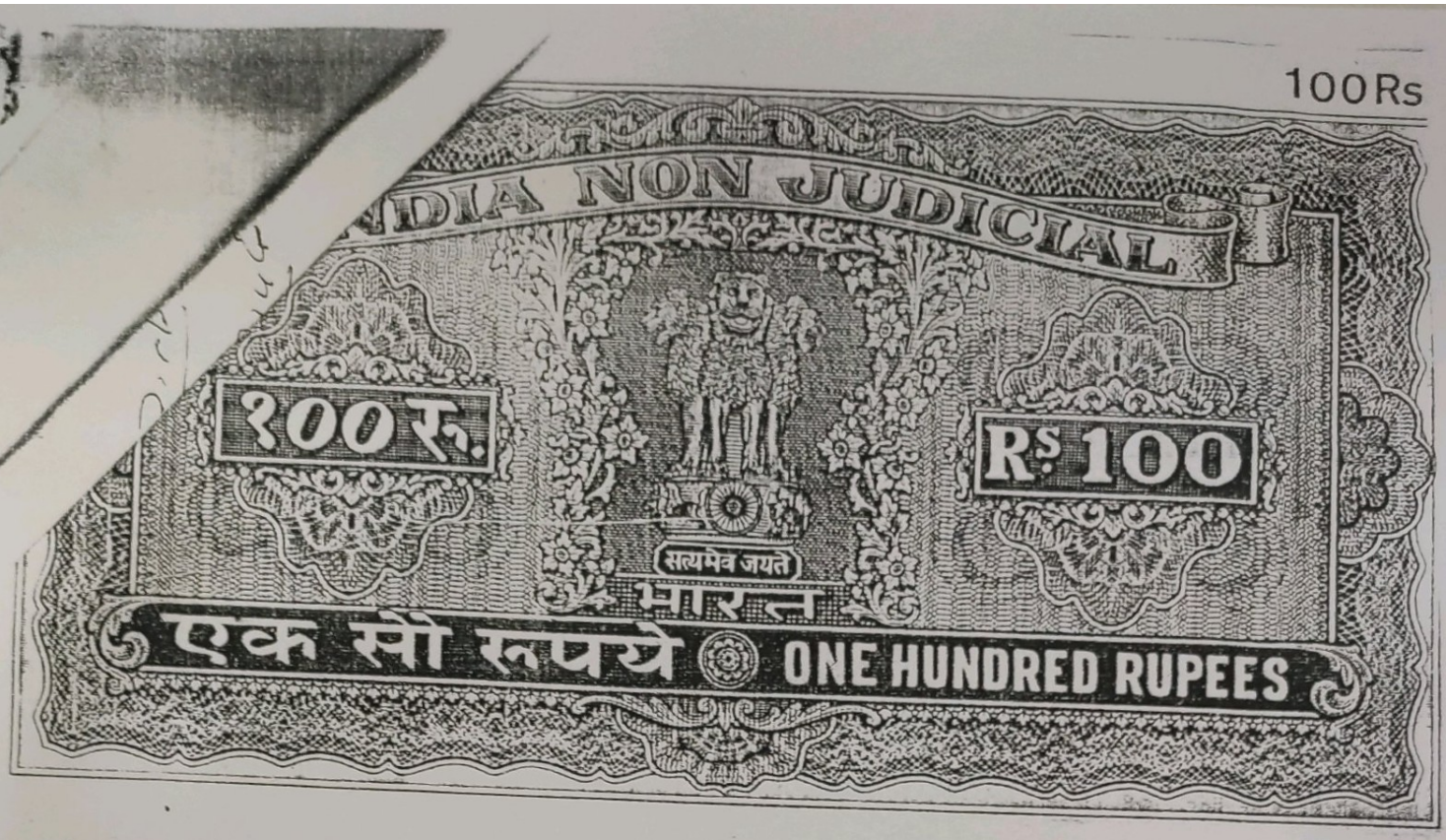

100Rs

लिये आराजी मुवइया 0-053 हैक्टेयर है जिसका क्रमांक 16 के अनुसार सर्किल रेट 6,00,000/- रूपयेप्रति एकड से आराजी मुवइया की बाजारी कीमत 79,000/-रूपये होती है लेकिन चूंकि खरीदारी 80,000/-रूपये है लिहाजा खरीदारी 80,000/-रूपये पर स्टाम्प दिया गया है जिसके मुआयदाबय

अ0

सिविल जज (व०ख०)
मुरादाबाद

Scanned by Scanner Go

दिनांक 17-10-2002 ई0 रजिस्टरी शुदा बही नम्बर एक जिल्द 3983 सुफा 377/394 नम्बर 10602 दिनांक 18-10-2002 ई0 पर अंकन 3200/-रूपये का स्टाम्प अतिरिक्त अदा किया था जिसका समायोजन इस बयनामा में किया जा रहा है ।

नोट:- पृष्ठ एक की पंक्ति 4 में व पृष्ठ 3 की पंक्ति 5 में न्यायालय के आदेश दि0 30-8-03 के अनुसार पूर्व पीठासीन अधिकारी "श्री मदन लाल निगम" का नाम काट कर उसके ऊपर वर्तमान पीठासीन अधिकारी "श्री मो0 मतीन खां" का नाम टाइप किया गया है ।

अ0 स0 स0

सिविल जज (व०श्र०)
मुरादाबाद

बयनामा हाजा बमुकाम मुरादाबाद बतारीख 4-7-2003 ई0 बइकरार बमतब्विदा पास शुदा अदालत मजकूर के सुनील कुमार भटनागर ।पी0ए0। सिविल जज सीनियर डिवीजन मुरादाबाद ने टाइप किया ।

Sunil Bhatnagar

सिविल जज (व०श्र०)
मुरादाबाद